संख्या- 24 /2023/755/दो-2-2023-28/2(16)/2023

प्रेषक,

मदन सिंह गर्ब्याल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2023**

विषय:- श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी.सी.एस.**(जी.पी.एफ.खाता सं0-आर0वी0यू0-37020)** के पेंशन,राशिकरण,उपादान भुगतान के संबंध में।

महोदय,

श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी0सी0एस0,सदस्य, उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकण,लखनऊ जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **31.07.2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं/हो रहे हैं, का पेंशन, राशिकरण,उपादान भुगतान का प्रस्ताव पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है तथा श्री पुष्कर श्रीवास्तव के संबंध में अपेक्षित अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री पुष्कर श्रीवास्तव का पेंशन, राशिकरण, उपादान का प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना से शासन को एवं अभिदाता को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:-**:-** श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता**-5 बी/2, मालवीय रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-24/2023/755(1) /दो-2-2023-28/2(16)/2023
लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी0सी0एस0,सदस्य, उ0प्रव वक्फ न्यायाधिकरण,लखनऊ जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक-**31-07-2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन ।

2- श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता**-5 बी/2, मालवीय रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-24/2023/755(।।)/दो-2-2023-28/2(16)/2023
लखनउ: दिनांक: 01 अगस्त,2023

विशेष सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी0सी0एस0,सदस्य, उ0प्रव वक्फ न्यायाधिकरण,लखनऊ जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **31-07-2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियॉ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता**-5 बी/2, मालवीय रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-24/2023/755(।।।) /दो-2-2023-28/(16)/2023

लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2023

आदेश

श्री पुष्कर श्रीवास्तव,से0नि0,पी0सी0एस0 द्वारा अपने भविष्य निधि खाता सं0-**आर0वी0यू0-37020** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री पुष्कर श्रीवास्तव,से0नि0,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में, महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-16/मिलान डायरी-55/ओ0डी0-825,दिनांक 30-05-2022 एवं पत्रांक-निधि-16/ओ0डी0-120/22415, दिनांक 22-06-2023 के अनुसार वर्ष-2020-2021 तक कुल जमा धनराशि रू0-39,58,581/- (रू0 उन्तालीस लाख अन्ठावन हजार पाँच सौ इक्सासी मात्र) जिसपर माह 03/2021 तक ब्याज सम्मिलित है, का सत्यापन किया गया है।

3- कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,उ0प्र0प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राधिकार पत्र के प्रस्तर-2 में उल्लिाखित व्यवस्थानुसार तथा श्री पुष्कर श्रीवास्तव द्वारा अपने जी0पी0एफ0 खाते से, आगे के वर्षों/माहों में हुई कटौतियों के संबंध में उपलब्ध कराये गये विवरण, आगणन शीट/प्रस्ताव के आधार पर उनके जी0पी0एफ0 खाते में कुल उल्लिखित कुल धनराशि रू0 51,16,147/- (रू0 इक्यावन लाख सोलह हजार एक सौ सैंतालीस मात्र),की 90 प्रतिशत धनराशि रू0 46,04,532/- (रू0 छियालीस लाख चार हजार पॉच सौ बत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84,दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

5- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री पुष्कर श्रीवास्तव, से0नि,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,निधि-16, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- **अध्यक्ष, उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, जवाहर भवन,तृतीय तल, लखनऊ** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपाया **श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी0सी0एस0,तत्कालीन सदस्य,उ0प्र0वक्फ न्यायाधिकरण, जवाहर भवन, तृतीय तल लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त** के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो। **(रजिस्टर्ड)**

3- **मु0/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार,जवाहर भवन,उ0प्र0 लखनऊ। (रजिस्टर्ड)**

4- श्री पुष्कर श्रीवास्तव,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता**-5 बी/2, मालवीय रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in